फार्म–डी	
न्यायालय : सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव (छत्तीसगढ़) (पीठासीन अधिकारी – खिलावन राम रिगरी)	
(निर्णय दिनांक 17/08/2026 को घोषित किया गया) सत्र प्रकरण क्रमांक–53/2025 CNR CGKG010006872025 प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्र. 294/2025 आरक्षी केन्द्र–कोण्डागाँव	
Complainant	छ०ग० राज्य, द्वारा– आरक्षी केन्द्र –कोण्डागाँव, जिला–कोण्डागांव (छत्तीसगढ़)
REPRESENTED BY	श्री हेमंत गोस्वामी, लोक अभियोजक
ACCUSED	उमेश नेताम पिता– स्व० तुलसी नेताम, उम्र–25 वर्ष, निवासी–बुनागाँव सड़कपारा, थाना– कोण्डागाँव, जिला– कोण्डागाँव (छत्तीसगढ़)
REPRESENTED BY	श्रीमती प्रभा मिश्रा, अधिवक्ता (डिप्टी चीफ लिगल एड डिफेंस कौंसिल)

फार्म–ई		
घटना दिनांक	:–	03.09.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	:–	05.09.2025
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	:–	30.11.2025
संस्थित दिनांक	:–	04.12.2025
आरोप विरचित दिनांक	:–	23.12.2025
साक्ष्य प्रारंभ करने का दिनांक	:–	27.02.2026
निर्णय हेतु आरक्षित दिनांक	:–	08.08.2026
निर्णय दिनांक	:–	17.08.2026
दंडित करने का दिनांक, यदि कोई हो	:–	17.08.2026

सत्र प्रकरण क्रमांक–53/2025
CNR CGKG010006872025

अभियुक्त का विवरण							
Rank of Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release of on bail	Offense charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C./ 468 BNSS
01	उमेश नेताम	05.09.2025	–	धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, 2023	Convicted	धारा 108 भा०न्या०सं० के लिए 05 (पांच) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/– (पांच सौ) रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।	347 दिन (11 माह 13 दिन)

फार्म –एफ अनुक्रमणिका		
S.No	Description	Page No.
1.	Heading of Judgment	1
2.	Appearance of Advocates	1
3.	Charge	3
4.	Admitted Facts	–
5.	Prosecution Story	3 to 6
6.	-----------	–
7.	-----------	–
8.	Reasons and findings	9 to 19
9	Sentence	20
10	Period of Detention & Set-Off	21
11	Disposal of Property	21
12.	Order of Compensation	20 to 21
13.	Certificate under section 468 BNSS	22
14.	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment of Fine)	निर्णय के ठीक उपरांत संलग्न है
15.	Copy of Judgment	1 से 22

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव, जिला– कोण्डागांव (छ०ग०) के आपराधिक प्रकरण क्रमांक–2560/2025 राज्य विरूद्ध उमेश नेताम में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 29.11.2025 से उद्धृत।

(01) अभियुक्त पर धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, 2023 (जिसे आगे संक्षेप में भा.न्या.सं. कहा जावेगा) का यह आरोप है कि उसने दिनांक 03.09.2025 की रात्रि 08:00 बजे से दिनांक 04.09.2025 की सुबह 06:00 बजे के मध्य, स्थान डुमरपदरपारा डोंगरीगुड़ा स्थित प्रार्थिया ईतवारीन सोरी के मकान में जो कि पुलिस थाना –कोण्डागाँव, जिला– कोण्डागाँव (छ०ग०) की परिसीमा में है, श्रीमती अमरीका बाई नेताम के प्रति क्रूरता का व्यवहार कर प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया।

(02) अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती ईतवारीन सोरी पति–मंगूराम सोरी, निवासी ग्राम–डोंगरीगुड़ा डूमरपदरपारा थाना एवं जिला कोण्डागांव की पुत्री अमरीका सोरी (जिसे आगे मृतिका कहा जावेगा) का प्रेम विवाह लगभग 05 वर्ष पूर्व अभियुक्त से हुआ था तथा दोनों के संबंध में एक पुत्र हुआ, उसके बाद मृतिका एवं अभियुक्त के मध्य मन

मुटाव एवं लड़ाई–झगड़ा होने के कारण मृतिका अपने बच्चे को लेकर अपने मायके ग्राम–डुमरपदरपारा, डोंगरीगुड़ा आकर अपनी मां के साथ रह रही थी। दिनांक 03.09.2025 को नवाखाई का त्यौहार था, उक्त तिथि को अभियुक्त शाम के समय मृतिका के मायके में आया, उस समय मृतिका अपनी सहेली के घर गई हुई थी, जिसे अभियुक्त ढूँढकर लाया, उसके बाद मृतिका और अभियुक्त दोनों एक कमरे में चले गये तथा मृतिका की माँ श्रीमती ईतवारिन शोरी अपने नाती के साथ खाना खाकर सोने चली गई कि रात्रि लगभग 08.30 बजे अभियुक्त अपने पुत्र को जो मृतिका की माँ के पास सोया था, को उठाकर ले जाने लगा, तब मृतिका की माँ ईतवारिन शोरी ने अभियुक्त से पूछा कि इतनी रात को बच्चे को कहाँ लेकर जा रहा है, तो अभियुक्त यह कहकर कि उसका बेटा है, वह लेकर जा रहा है, अपने पुत्र को लेकर चला गया। दूसरे दिन सुबह मृतिका के नहीं उठने पर उसकी माँ ईतवारिन शोरी मृतिका के कमरे में जाकर देखी तो मृतिका जमीन में पड़ी हुई थी और उसके गले में शॉल का गठान बँधा हुआ था, तब वह अपने परिवारवालों को बुलाई और पुलिस में सूचना दी, जिस पर मर्ग इंटीमेशन लेखबद्ध कर मृतिका के शव का पंचनामा तैयार कर शव को परीक्षण हेतु

जिला अस्पताल कोण्डागाँव भेजा गया, घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, मृतिका की माँ ईतवारीन बाई ने मर्ग जाँच के दौरान बतायी कि मृतिका का पति अभियुक्त उसके चरित्र पर संदेह कर प्रताड़ित करता था और उसके बच्चे को जबरन छिनकर ले गया, जिससे व्यथित होकर मृतिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तब उपनिरीक्षक गुलाब टंडन ने मर्ग जांच के आधार पर थाना कोण्डागाँव में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 294/2025 अंतर्गत धारा 108 भा०न्या०सं० का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण अन्वेषण में लिया।

(02–A) अन्वेषण के दौरान गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये, अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसकी सूचना उसके परिजन को दी गयी, वैज्ञानिक अधिकारी किशोर सिंह कंवर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन दिया, महिला आरक्षक गायत्री सोरी ने मृतिका के शव परीक्षण के दौरान डॉक्टर द्वारा दिये गये सीलबंद लिगेचर मटेरियल शॉल को पेश की, जिसे जप्त कर जप्ती–पत्रक तैयार किया गया। घटना स्थल का नजरी नक्शा एवं पंचनामा पटवारी से तैयार कर प्राप्त किया गया तथा अन्य आवश्यक विवेचना बाद अभियुक्त के विरूद्ध धारा 108 भा.न्या.सं. के

अपराध का अभियोग–पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव, जिला– कोण्डागांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से प्रकरण दिनांक 29.11.2025 को इस न्यायालय को उपार्पण पर प्राप्त हुआ है ।

(03) अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर विचारण का दावा किया है। अभियुक्त ने कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसकी पत्नी मृतिका शराब का सेवन कर झगड़ा करती थी, घटना दिनांक को भी वह शराब के नशे में थी, जिसे वह रात में घर लेकर आया था, उसके बाद वह अपने बच्चे को लेकर चला गया था, उसके बाद मृतिका कैसे मर गयी, वह नहीं जानता। अभियुक्त ने बचाव में साक्षी सुगन्तीन नेताम (ब.सा.1) का परीक्षण कराया है।

(04) अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन के गवाह जो हितबद्ध साक्षी है, के साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है, मृतिका शराब पीने की आदी थी, वह घर की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करती थी तथा अभियुक्त से लड़ाई–झगड़ा करती थी, घटना दिनांक को भी वह शराब पीये हुई थी, अभियोजन ने जिन आधारों पर अभियुक्त को अभियोजित किया है, उसे प्रमाणित नहीं कर सका है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

(05) इसके विपरीत राज्य की ओर से लोक अभियोजक ने तर्क किया है कि अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य से आरोपित अपराध प्रमाणित हो चुका है, अतः अभियुक्त को कठोर दंड से दंडित किया जावे।

(06) अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में नीचे लिखे साक्षियों का साक्ष्य कराया गया हैः–

Witness No.	Name of Witness	Description
01	ईतवारिन शोरी	मर्ग इंटीमेशन एवं कथन
02	सोनादई शोरी	कथन
03	शांति शोरी	कथन
04	पटवारी प्रमोद कुमार भारती	नजरी नक्शा व पंचनामा
05	पवन कुमार शोरी	कथन
06	डॉ० पवन गौतम	शव परीक्षणकर्ता
07	तहसीलदार नरेन्द्र सिंह	मर्ग जांच
08	उपनिरीक्षक गुलाब टंडन	विवेचक

(07) उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों को चिन्हित/प्रदर्शित कराया गया हैः–

Exhibit No.	Description of the Exhibit	Proved by/Attested by
पी–01 से 03	नजरी नक्शा, पंचनामा एवं प्रतिवेदन	PW–04

पी–04	धारा 175 द०प्र०सं० के तहत दी गयी नोटिस	PW–05
पी–05	नक्शा पंचायतनामा	PW–05
पी–06	शव परीक्षण रिपोर्ट	PW–05
पी–07	मौका नक्शा	PW–08
पी–08	महिला आरक्षक गायत्री सोरी को शव परीक्षण कराने हेतु जारी कर्तव्य प्रमाण पत्र	PW–08
पी–09	शव परीक्षण आवेदन	PW–08
पी–10	शव परीक्षण बाद चिकित्सक द्वारा दिये गये सीलबंद पैकेट की जप्ती का जप्ती–पत्रक	PW–08
पी–11	प्रथम सूचना रिपोर्ट	PW–08
पी–12	गिरफ्तारी पत्रक	PW–08
पी–13	गिरफ्तारी की सूचना	PW–08
पी–14	घटना स्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन	PW–08
पी–15	नजरी नक्शा हेतु तहसीलदार को प्रेषित पत्र	PW–08
पी–16	धारा 63 (4)(c) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र	PW–08
डी–01	गवाह पवन कुमार सोरी का पुलिस कथन	PW–05

(08) चिन्हित वस्तु/संपत्ति की सूचीः–

Material Object No.	Description of the Exhibit	Proved by/Attested by
आर्टिकल A	फोटोग्राफ्स	PW08

(09) निर्णय हेतु अवधारणीय प्रश्न यह है कि–

1. **क्या मृतिका की मृत्यु की प्रकृति आत्महत्यात्मक थी?**

(10) उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में मृतिका की माँ ईतवारिन शोरी (अ०सा० 1) ने कथन की है कि मृतिका अपने कमरे के अंदर मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना उसने पुलिस थाना–कोण्डागाँव में दी थी। गवाह सोनादई शोरी (अ०सा० 2), शांति शोरी (अ०सा० 3) एवं पवन शोरी (अ०सा० 5) ने भी कथन किया है कि सूचना मिलने पर वे लोग मृतिका के घर गये तो देखे कि मृतिका जमीन में पड़ी थी और उसके गले में शॉल बंधा हुआ था। तहसीलदार नरेन्द्र सिंह (अ०सा० 7) एवं उप निरीक्षक गुलाब टण्डन (अ०सा० 8) के साक्ष्य अनुसार घटना की सूचना मिलने पर वे लोग घटना स्थल पर जाकर शव पंचनामा की कार्यवाही किये थे। तहसीलदार नरेन्द्र सिंह (अ०सा० 7) ने कथन किया है कि उसने गवाहों को नोटिस (प्र.पी.4) देकर नक्शा पंचायतनामा (प्र.पी.5) तैयार किया था। ऐसा ही कथन गवाह पवन शोरी (अ०सा० 5) ने भी किया है। उप निरीक्षक गुलाब टण्डन (अ०सा० 8) ने कथन किया है कि उसने मृतिका के शव परीक्षण हेतु आवेदन–पत्र (प्र.पी.9) तैयार कर शव को परीक्षण हेतु

अस्पताल भिजवाया था। इन गवाहों के उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतिका के शव पंचनामा की कार्यवाही के बाद उसके शव को परीक्षण हेतु जिला अस्पताल कोण्डागाँव भेजा गया था।

(11) डॉक्टर पवन गौतम (अ०सा० 6) ने कथन किया है कि उसने दिनांक 04.09.2025 को मृतिका के शव परीक्षण पर पाया कि उसके गले पर 38cm.x2 से 3cm.x8cm. दाँये गाल की ओर फैला हुआ व गले के पास उभरा हुआ लाईगेचर निशान मौजूद था तथा मृत्यु का कारण गले में फाँसी का फंदा लगने से श्वास नली का अवरूद्ध हो जाना था, जिसके संबंध में उसकी रिपोर्ट (प्र.पी.6) है। उपरोक्त साक्ष्य अखंडित है तथा अभिलेख में और कोई तथ्य नहीं है, जिससे मृतिका की मृत्यु का कोई अन्य कारण दर्शित हो, अतः पेश साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मृतिका के मृत्यु की प्रकृति आत्महत्यात्मक थी। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि–

2. क्या अभियुक्त ने मृतिका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने आत्महत्या की थी?

(12) मृतिका की माँ ईतवारिन शोरी (अ.सा.01) ने कथन की है कि अभियुक्त और मृतिका का विवाह 03 वर्ष पूर्व हुआ था, अभियुक्त ने अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,

2023 (जिसे आगे भा.ना.सु.सं. कहा गया है।) में पूछे गये प्रश्न क्रमांक 03 के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि उसका विवाह तीन वर्ष पूर्व मृतिका के साथ हुआ था। अभियुक्त की उपरोक्त स्वीकारोक्ति धारा 351 उपधारा 04 (भा.ना.सु.सं.) के अनुसार उसके विरूद्ध साक्ष्य में विचार योग्य है, अतः मृतिका की माँ ईतवारिन शोरी (अ.सा.01) के अखंडित साक्ष्य तथा अभियुक्त की स्वीकारोक्ति से यह तथ्य स्पष्ट है कि अभियुक्त से मृतिका का विवाह ईतवारिन शोरी के कथन दिनांक 10.04.2026 से लगभग 03 साल पहले हुआ था और घटना दिनांक 03.09.2025 की है, अर्थात मृतिका ने विवाह के 07 वर्ष के भीतर आत्महत्या कर ली थी।

(13) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 117 किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा करता है, जो इस प्रकार है–

> **117. किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा–** जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को

ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी।
स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता” का वही अर्थ है, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 86 में है।

भा०न्या०सं० की धारा 86 में दी गयी **क्रूरता** की परिभाषा इस प्रकार है– धारा 85 के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण, जो ऐसी प्रकृति का है. जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य की (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की सम्भावना है; या
(ख) किसी महिला को तंग करना, जहाँ उसे या उससे सम्बन्धित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध माँग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी माँग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है।

(14) अब यह विचार किया जाना है कि क्या अभियुक्त ने मृतिका के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था या उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था। इस संबंध में मृतिका की माँ ईतवारिन शोरी (अ०सा० 1) ने कथन की है कि पिछले एक वर्ष से अभियुक्त ने मृतिका को छोड़ दिया था, इस कारण मृतिका अपने लड़के के साथ उसके घर में रह रही थी। इस साक्षी ने मुख्य

परीक्षा में कथन की है कि अभियुक्त ने मृतिका की हत्या किस कारण से की थी, उसे जानकारी नहीं है तथा अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर स्वीकार की है कि अभियुक्त मृतिका के चरित्र पर शंका करता था और आये दिन उसके साथ लड़ाई–झगड़ा व वाद–विवाद करता था, जिसके कारण मृतिका मायके में आकर निवास कर रही थी।

(15) गवाह सोनादई शोरी (अ०सा० 2) ने इस बात की जानकारी नहीं होना बताई है कि अभियुक्त मृतिका के चरित्र पर शक करता था और घटना दिनांक को मृतिका से लड़ाई–झगड़ा कर अपने पुत्र को अपने साथ लेकर गया था। गवाह शांति शोरी (अ०सा० 3) ने अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य परीक्षा में कोई कथन नहीं की है, लेकिन अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर स्वीकार की है कि अभियुक्त मृतिका के चरित्र पर शंका करता था और घटना दिनांक को रात्रि में मृतिका के पुत्र को अपने साथ ले गया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार की है कि मृतिका एवं अभियुक्त के मध्य किसी बात को लेकर मन मुटाव होता था या नहीं, इसकी जानकारी उसे नहीं है। गवाह पवन शोरी (अ०सा० 5) ने इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है कि मृतिका अपने मायके में क्यों रह रही थी।

(16) इस प्रकार अभियोजन गवाह सोनादई शोरी (अ०सा० 2) एवं पवन शोरी (अ०सा० 5) ने अभियुक्त एवं मृतिका के मध्य किस कारण विवाद होता था, कोई कथन नहीं किये है, लेकिन मृतिका की माँ ईतवारिन शोरी (अ०सा० 1) का साक्ष्य कि अभियुक्त मृतिका के चरित्र पर शंका करता था और आये दिन उसके साथ लड़ाई–झगड़ा व वाद–विवाद करता था, जिसके कारण मृतिका मायके में आकर निवास कर रही थी, अखंडित है तथा गवाह शांति शोरी (अ०सा० 3) के साक्ष्य से समर्थित है। मृतिका की माँ ईतवारिन शोरी (अ०सा० 1) एवं गवाह पवन शोरी (अ०सा० 5) को प्रतिपरीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि मृतिका ने अभियुक्त के साथ प्रेम विवाह की थी, जिसे इन गवाहों ने स्वीकार किया है। इस प्रकार साक्ष्य से यह तो स्पष्ट होता है कि अभियुक्त एवं मृतिका का प्रेम विवाह हुआ था, किन्तु उनके मध्य संबंध सामान्य नहीं होने के कारण मृतिका अपने पुत्र के साथ मायके में रह रही थी।

(17) मृतिका की माँ ईतवारिन शोरी (अ०सा० 1) ने कथन की है कि घटना नवाखानी त्यौहार के समय की है, अभियुक्त उसके घर आया था, रात्रि में वे सब खाना खाकर बैठे थे, तब अभियुक्त उससे पूछा कि मृतिका

कहाँ है और जब वह बताई कि अपनी सहेलियों के साथ होगी तो अभियुक्त मृतिका को ढूँढकर लाया, वह रात में सो गई थी, सुबह उठकर देखी तो मृतिका अपने कमरे में मृत पड़ी थी, उसका तीन वर्ष का बेटा एवं अभियुक्त घर पर नहीं थे तथा मृतिका का मोबाईल भी कमरे में नहीं था। गवाह शांति शोरी (अ०सा० 3) एवं पवन शोरी (अ०सा० 5) ने कथन किया है कि घटना की रात में अभियुक्त अपने ससुराल में आया था और अपने बच्चे को लेकर चला गया था।

(18) बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि अभियोजन गवाह हितबद्ध साक्षी है, जिनके साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है एवं अभियोजन का समर्थन नहीं किये है। उपरोक्त तर्क के परिपेक्ष्य में गवाहों के साक्ष्य के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि गवाह सोनादई शोरी (अ०सा० 2) ने अभियोजन का समर्थन नहीं की है तथा गवाह शांति शोरी (अ०सा० 3) एवं पवन शोरी (अ०सा० 5) ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार की है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि अभियुक्त अपने पुत्र को रात में कितने बजे लेकर गया और उन्होंने अभियुक्त द्वारा अपने पुत्र को ले जाते हुये नहीं देखा है। लेकिन अभियुक्त ने अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 351 भा.ना.सु.सं. में पूछे गये प्रश्न क्रमांक 05

से 07 के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को नवाखानी त्यौहार के समय वह मृतिका के घर गया था, मृतिका घर में नहीं थी, तब उसने मृतिका की माँ से मृतिका के बारे में पूछा था, जिसके यह बताने पर कि मृतिका अपनी सहेलियों के साथ गई होगी, वह मृतिका को ढूँढने गया और लेकर आया तथा प्रश्न क्रमांक 09 के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि वह अपने बच्चे को और मोबाईल को लेकर गया था। अभियुक्त की उपरोक्त स्वीकारोक्ति धारा 351 उपधारा 04 भा.ना.सु.सं. के अनुसार उसके विरूद्ध साक्ष्य में विचार योग्य है। अतः मृतिका की माँ ईतवारिन शोरी (अ०सा० 1) के साक्ष्य तथा अभियुक्त की स्वीकारोक्ति से यह तथ्य स्पष्ट है कि घटना दिनांक को जब अभियुक्त मृतिका के घर आया था, तब मृतिका घर में नहीं थी, जिसे वह ढूँढकर लाया था और रात में ही अपने बच्चे को लेकर चला गया था।

(19) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से स्पष्ट है कि मृतिका एवं अभियुक्त का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन दोनों के मध्य संबंध सामान्य नहीं होने के कारण मृतिका अपने मायके में रह रही थी, घटना दिनांक को अभियुक्त मृतिका के मायके घर में आया था, उस समय मृतिका अपने घर में नहीं थी,

जिसे मृतिका की मां के बताने पर कि मृतिका अपनी सहेली के घर गयी होगी, अभियुक्त ढूँढकर घर लाया था और दूसरे दिन मृतिका कमरे में मृत पायी गयी थी तथा अभियुक्त घर में नहीं था, वह मृतिका के साथ रह रहे उसके तीन साल के बच्चा को लेकर चला गया था। मृतिका जो नवाखानी त्यौहार में अपनी सहेलियों के साथ त्यौहार मना रही थी, अभियुक्त द्वारा घर लाने के बाद आत्महत्या कर लेती है, उक्त तथ्य एवं परिस्थितियां अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रबल उपधारणा करता है कि अभियुक्त ने मृतिका से क्रूरता का व्यवहार किया था या उसे प्रताड़ित किया था और जानबूझकर ऐसा आचरण किया था, जो मृतिका को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने वाला था।

(20) अब यह विचार किया जाना है कि क्या अभियुक्त ने उक्त उपधारणा को खंडित किया है। अभियुक्त की ओर से बचाव लिया गया है कि मृतिका शराब पीने की आदी थी, घर का काम नहीं करती थी और अभियुक्त से झगड़ा लड़ाई करती थी। इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त की भाभी सुगन्तीन नेताम (ब०सा० 1) का परीक्षण कराया गया है, जिसने कथन की है कि अभियुक्त एवं मृतिका का विवाह को तीन वर्ष हुआ था,

मृतिका घर पर कोई काम नहीं करती थी तथा शराब का सेवन करने की आदी थी, घर का कोई काम करने या खाना बनाने के लिये कहने पर बच्चे को लेकर मायके चली जाती थी, मृतिका 15 दिन मायके एवं 05 दिन ससुराल में रहती थी, मृतिका को शराब पीने से मना करने पर वह अपने पति के साथ लड़ाई–झगड़ा करती थी, घटना के समय नवाखानी का त्यौहार होने से अभियुक्त अपनी पत्नि एवं बच्चे को लाने के लिये गया था, किन्तु मृतिका आने से मना कर दी, तब अभियुक्त बच्चे को लेकर नवाखानी त्यौहार होने से आया था। इस साक्षी ने कंडिका क्रमांक 03 में स्वीकार की है कि मृतिका के घर से अभियुक्त रात्रि लगभग 08.00 बजे बच्चे को लेकर आया था और दूसरे दिन पता चला कि मृतिका की मृत्यु हो गई है।

(21) मृतिका की माँ ईतवारिन शोरी (अ०सा० 1) ने प्रतिपरीक्षा के दौरान कण्डिका क्रमांक 05 में स्वीकार की है कि मृतिका शराब पीने की आदी थी तथा वह दिन में भी शराब का सेवन करती थी, लेकिन इस सुझाव से इंकार की है कि मृतिका उसके घर में रहने के दौरान रोज शराब का सेवन करती थी। उपरोक्त साक्ष्य से यह तो दर्शित होता है कि मृतिका शराब पीने की आदी थी और उक्त कारण से अभियुक्त एवं उसके मध्य विवाद होता था,

लेकिन बचाव पक्ष की ओर से पेश उपरोक्त साक्ष्य से भी अभियोजन के प्रकरण का कि मृतिका घटना दिनांक को अपने मायके में बच्चे के साथ ही, अभियुक्त मृतिका के मायके में गया था और रात में तीन साल के बच्चा को लेकर चला गया था, जिससे व्यथित होकर मृतिका ने आत्महत्या की थी, समर्थन होता है।

(22) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना का सार यह है कि अभियुक्त के विरूद्ध विधिक उपधारणा का कि मृतिका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है तथा मृतिका द्वारा की गयी आत्महत्या उसके पति द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी, खंडन नहीं हुआ है तथा अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य से अभियुक्त को अभियोजित करने का आधार युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है। अतः अभियुक्त को धारा 108 भा०न्या०सं० के अपराध का दोषी पाया जाता है तथा उक्त अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है। सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रकरण मे निर्णय स्थगित रखा गया।

कोण्डागांव (छ०ग०)
दिनांक– 17 अगस्त, 2026

निर्णय मेरे निर्देश में टंकित।

सही/–
(खिलावन राम रिगरी)
सत्र न्यायाधीश
जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़

(23) दण्डादेश – दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को, उनके विद्वान अधिवक्ता को एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया। अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्त नवयुवक है, उसका एक बच्चा है, उसका प्रथम अपराध है तथा वह काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, अतः उसे कम से कम दण्ड दिया जाये। इसके विपरीत राज्य की ओर से तर्क किया गया है कि अभियुक्त के क्रूरता एवं दुष्प्रेरण के कारण उसकी पत्नि ने आत्महत्या की थी, अतः उसे कठोर से कठोर दंड दिया जावें।

(24) दण्डादेश के संबंध में विचार किया गया। अभियुक्त की पूर्वदोषसिद्धी प्रमाणित नही हैं, अतः यह उसका प्रथम अपराध माना जावेगा, उक्त तथ्य, अभियुक्त की आयु एवं सिद्धदोष अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को विधि द्वारा नियत अधिकतम दण्डादेश से दण्डित करने के बजाय सिद्धदोष अपराध धारा 108 भा०न्या०सं० के लिए 05 (पांच) वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/– (पांच सौ) रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतना होगा।

(25) अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है तथा अधिवक्ता नियुक्त करने

में असमर्थता के कारण उसकी ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस कांउसिल द्वारा पैरवी की गई है, उक्त तथ्य को देखते हुये अभियुक्त से प्रतिकर दिलाये जाने के संबंध में आदेश नहीं किया गया है।

(26) अभियुक्त इस मामले में दिनांक 05.09.2025 से आज दिनांक 17.08.2026 तक कुल 347 दिन (11 माह 13 दिन) अभिरक्षा में निरूद्ध रहा है। अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि धारा 468 भा०ना०सु०सं०, 2023 के प्रावधान अनुसार उसे दी गयी कारावास की सजा में मुजरा की जावें। अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

(27) प्रकरण में जप्तशुदा पुराना शॉल सफेद–क्रिम कलर का मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावें, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार जप्त संपति का निराकरण किया जावें।

कोण्डागांव (छ०ग०)
दिनांक–17 अगस्त, 2026

दण्डादेश मेरे निर्देश में टंकित।

सही/–
(खिलावन राम रिगरी)
सत्र न्यायाधीश
जिला–कोण्डागांव, छत्तीसगढ़

सत्र प्रकरण क्रमांक–53/2025
CNR CGKG010006872025

<u>अभियुक्त उमेश नेताम द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि का प्रमाण पत्र</u>

भा०ना०सु०सं० की धारा 468 (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428)

गिरफ्तारी दिनांक	05.09.2025	
पुलिस अभिरक्षा की अवधि	–	
न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	दिनांक 05.09.2025 से दिनांक 17.08.2026 तक	347 दिन
अभिरक्षा की कुल अवधि	347 दिन (11 माह 13 दिन)	

कोण्डागांव (छ०ग०)
दिनांक–17 अगस्त, 2026

सही/–
(खिलावन राम रिगरी)
सत्र न्यायाधीश
जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़

// सत्यप्रतिलिपि //

KHILAWAN RAM RIGRI
Digitally signed by KHILAWAN RAM RIGRI